संख्या-3/754 एस0सी0/18-2-2014-77/12

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 नवम्बर, 2014

विषय- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के नियन्त्रणाधीन सहकारी चीनी मिलों एवं आसवनियों (डिस्टलरी) के कर्मचारियों के लिए उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 के अन्तर्गत वेतन संरचना के निर्धारण के सम्बन्ध में संशोधन।

महोदय,

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के नियन्त्रणाधीन सहकारी चीनी मिलों एवं आसवनियों के कर्मचारियों के लिए उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत वेतन संरचना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-744 एस0सी0/18-2-2014-77/12 दिनांक 06 नवम्बर 2014 निर्गत किया गया था। वस्तुत: उक्त शासनादेश समिति की संस्तुति के अनुसार वेतनमानों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित है, जोकि स्थायी एवं सामयिक कर्मचारियों पर लागू है। शासनादेश के विषय तथा प्रस्तर-3 व 4 के कोष्ठक में त्रुटिवश अंकित स्थायी/ सामयिक/ दैनिक वेतनभोगी के स्थान पर स्थायी/ सामयिक पढा जाए। उक्त शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

2- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के अधीन संचालित सहकारी चीनी मिलों एवं आसवनियों में कार्यरत तदर्थ/ अस्थायी /दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1720 (2) एस0सी0/18-2-2014-77/12 दिनांक 02 नवम्बर 2013 पूर्व से ही प्रभावी है।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

क्रमश:-2 पर

http://shasnadesh.upnic.in

संख्या-3/754 (1) एस0सी0/18-2-14 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उ0प्र0।

5- गन्ना आयुक्त/निबन्धक उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल समितियॉं, लखनऊ।

6- समस्त जिलाधिकारी (सम्बन्धित चीनी मिलें), उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in